न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-317RAAJodhpur2024-118RTA223 Lrs of Devisingh Vs Lrs of Chimansingh etc

1. देवीसिंह पुत्र आनन्दसिंह फौत के कायम मुकामः–
   1.1. भंवरसिंह पुत्र स्व. देवीसिंह फौत के कायम मुकामः–
      1.1.1. शेरसिंह पुत्र भंवरसिंह
      1.1.2. पूजा कंवर पुत्री भंवरसिंह
      1.1.3. महीपालसिंह पुत्र भंवरसिंह
      1.1.4. पप्पू कंवर पत्नी भंवरसिंह

      जातियान् राजपूत, निवासीगण– भालू लक्ष्मणगढ, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर(अपीलांट संख्या 1/1 से 1/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अपीलांट संख्या 1/4 पप्पू कंवर पत्नी भंवरसिंह)।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. चिमनसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह फौत के कायम मुकामः–
   1.1. देचू कंवर पत्नी चिमनसिंह
   1.2. भंवरसिंह पुत्र चिमनसिंह
   1.3. राजू सिंह पुत्र चिमनसिंह
   1.4. बेबी कंवर पुत्री चिमनसिंह
   1.5. मोहन कंवर पुत्री चिमनसिंह
2. काछब सिंह पुत्र शिवनाथसिंह फौत के कायम मुकामः–
   2.1. मदन सिंह पुत्र काछबसिंह
   2.2. गोपाल सिंह पुत्र काछबसिंह
   2.3. पर्बत सिंह पुत्र काछबसिंह
   2.4. लक्ष्मण सिंह पुत्र काछबसिंह
   2.5. मोहन कंवर पत्नी काछबसिंह

   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– ग्राम भालू कल्लां, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

   2.6. छैलू कंवर पुत्री काछब सिंह पत्नी मदनसिंह, जाति राजपूत, निवासी– सेतरावा, तहसील सेतरावा, जिला फलोदी।
3. छतर सिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भालू कलां, तहीसल सेखाला, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, हाल सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जून 2024 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 40/2009 चिमनसिंह के कायम मुकाम बनाम देवीसिंह के कायम मुकाम इत्यादि

उपस्थित–
श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री अनिल राठी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4

नि र्ण य

दिनांक : 06 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2009 अनवान चिमनसिंह के कायम मुकाम बनाम देवीसिंह के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 07 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 557 रकबा 123.07 बीघा ग्राम भालू कलां(वर्तमान ग्राम भालू लक्ष्मणगढ) तहसील बालेसर के संबंध धारा 53 आर. टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा की ओर जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया जाकर वादी के वाद का विरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26 जून 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा उन्हे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की ओर से काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में 3/4 हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं काउंटर क्लेम के आधार पर मामले में तनकीयात कायम की थी तथा पत्रावली वादीगण की साक्ष्य मैं विचाराधीन चल रही थी। प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये बिना सीधे ही अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी तथा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम पर कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया। वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल में रिवीजन विचाराधीन है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल से स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। विचारण न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते वादी संख्या दो काछब सिंह फौत हो गया था। विचारण न्यायालय द्वारा वादी संख्या दो की कायम मुकाम कार्यवाही किये बिना तथा वादी संख्या दो के वारिसान् को रेकर्ड पर लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2009 अनवान चिमनसिंह के कायम मुकाम बनाम देवीसिंह के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जून 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी.2024(1)पेज 245 की न्यायिक नजीर पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये केवल पक्षकारान् के हिस्से को तय किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर रेस्पोडेंट्स काबिज काश्त है तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी उनका 1/2 हिस्सा दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक–हिस्से में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

परिवर्तन का उज्र उठाया है। यह भी उल्लेखनीय है कि नामांतरकरण की रिवीजन में वाद की कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 557 रकबा 123.07 बीघा में वादीगण के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/2 हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार शेरगढ हाल सेखाला को आदेशित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अपीलांट्स का उज्र है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पोडेंट्स का 1/4 हिस्सा ही बनता है तथा इस संबंध में वादग्रस्त आराजी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी विचाराधीन है। इस संबंध में अदालत हाजा का मत है कि माननीय मण्डल में विचारधीन निगरानी के जरिये अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजी में निहित हक–हिस्से का निर्धारण होना है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के हक–हिस्से में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2009 अनवान चिमनसिंह के कायम मुकाम बनाम देवीसिंह के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जून 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-317RAAJodhpur2024-118RTA223 Lrs of Devisingh Vs Lrs of Chimansingh etc

अपीलाण्ट

1. देवीसिंह पुत्र आनन्दसिंह फौत के कायम मुकामः—
   1.1. भंवरसिंह पुत्र स्व. देवीसिंह फौत के कायम मुकामः—
      1.1.1. शेरसिंह पुत्र भंवरसिंह
      1.1.2. पूजा कंवर पुत्री भंवरसिंह
      1.1.3. महीपालसिंह पुत्र भंवरसिंह
      1.1.4. पप्पू कंवर पत्नी भंवरसिंह

जातियान् राजपूत, निवासीगण— भालू लक्ष्मणगढ, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर(अपीलांट संख्या 1/1 से 1/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अपीलांट संख्या 1/4 पप्पू कंवर पत्नी भंवरसिंह)।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. चिमनसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह फौत के कायम मुकामः—
   1.1. देचू कंवर पत्नी चिमनसिंह
   1.2. भंवरसिंह पुत्र चिमनसिंह
   1.3. राजू सिंह पुत्र चिमनसिंह
   1.4. बेबी कंवर पुत्री चिमनसिंह
   1.5. मोहन कंवर पुत्री चिमनसिंह
2. काछब सिंह पुत्र शिवनाथसिंह फौत के कायम मुकामः—
   2.1. मदन सिंह पुत्र काछबसिंह
   2.2. गोपाल सिंह पुत्र काछबसिंह
   2.3. पर्बत सिंह पुत्र काछबसिंह
   2.4. लक्ष्मण सिंह पुत्र काछबसिंह
   2.5. मोहन कंवर पत्नी काछबसिंह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण— ग्राम भालू कल्लां, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
   2.6. छैलू कंवर पुत्री काछब सिंह पत्नी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मदनसिंह, जाति राजपूत, निवासी– सेतरावा, तहसील सेतरावा, जिला फलोदी।

3. छतर सिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भालू कलां, तहीसल सेखाला, जिला जोधपुर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, हाल सेखाला, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जून 2024 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 40/2009 चिमनसिंह के कायम मुकाम बनाम देवीसिंह के कायम मुकाम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 06 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री अनिल राठी एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2009 अनवान चिमनसिंह के कायम मुकाम बनाम देवीसिंह के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जून 2024 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 06 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर